



कार्यालय उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून

मान्यता पत्रांक सं०...२४... / मान्यता सूचीबद्ध / फौकानिया / उ.म.शि.प. / प.सं-685 / 2023-24

दिनांक २१ जून, 2023

सूचीबद्ध प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् अधिनियम सं०-06 वर्ष 2016 के अधीन मदरसा जामियातुल हसनात, सीर गोटिया, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर जो पूर्ववर्ती राज्य उ०प्र० के अरबी तथा फारसी परीक्षाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के द्वारा मान्यता क्रम सं०-92 दिनांक 09 जुलाई, 2003 के द्वारा आलिया (मुंशी तथा मौलवी) तक की स्थाई मान्यता प्रदान की गई है, को उक्त मान्यता प्रमाण पत्र की शर्तों तथा शिक्षा संहिता के अनुच्छेद-65 के अधीन फौकानिया (कक्षा 6 से कक्षा 8 तक) स्तर तक को उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून की मान्यता सूची में सूचीबद्ध किया जाता है।

(अब्दुल यामीन)

उप रजिस्ट्रार

सेवा में,

प्रबन्धक, मदरसा जामियातुल हसनात, सीर गोटिया, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।

पृ०सं० - मान्यता सूचीबद्ध / फौकानिया / उ.म.शि.प. / प.सं-685 / 2023-24 तददिनांक।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा, ननूरखेडा, देहरादून।
2. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
4. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।

उप रजिस्ट्रार




कार्यालय उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून

मान्यता पत्रांक सं०.....१३..... /मान्यता सूचीबद्ध/तहतानिया/उ.म.शि.प./प.सं-517/2023-24

दिनांक 21 जून, 2023

सूचीबद्ध प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् अधिनियम सं०-06 वर्ष 2016 के अधीन मदरसा जामियातुल हसनात, सीर गोटिया, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर जो पूर्ववर्ती राज्य उ०प्र० के अरबी तथा फारसी परीक्षाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के द्वारा मान्यता क्रम सं०-92 दिनांक 09 जुलाई, 2003 के द्वारा आलिया (मुंशी तथा मौलवी) तक की स्थाई मान्यता प्रदान की गई है, को उक्त मान्यता प्रमाण पत्र की शर्तों तथा शिक्षा संहिता के अनुच्छेद-65 के अधीन तहतानिया (कक्षा 1 से कक्षा 5 तक) स्तर तक को उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून की मान्यता सूची में सूचीबद्ध किया जाता है।


(अब्दुल यामीन)
उप रजिस्ट्रार


सेवा में,

प्रबन्धक, मदरसा जामियातुल हसनात, सीर गोटिया, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।

पृ०सं० - मान्यता सूचीबद्ध/तहतानिया/उ.म.शि.प./प.सं-517/2023-24 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा, ननूरखेडा, देहरादून।
2. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
4. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।


उप रजिस्ट्रार
९८


अरबी तथा फारसी परीक्षाएँ, उत्तर प्रदेश मान्यता प्रमाण पत्र


मान्यता समिति की बैठक दिनांक 11/06/2003 में लिये गये निर्णयानुसार मदरसा जामेतुल हसनात सीर गोटिया, रूद्रपुर उधमसिंह नगर, उत्तरांचल को शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 65 के अधीन तथा मान्यता एवं सेवा नियमावली (अरबी तथा फारसी मदरसे, उ०प्र०) 1987 (शासनादेश सं०-2094/52-3-92 (46) 97, दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 एवं शासनादेश सं०-320/बावन-3-97 (46)/97 दिनांक 31 मार्च, 1998 द्वारा यथा संशोधित में दी गयी शर्तों के अधीन आलिया (मुंशी तथा मौलवी) तक की स्थायी मान्यता, लड़को के लिए प्रदान की जाती है।

यह मान्यता निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी।

1. शासन अथवा विभाग द्वारा दिये गये आदेशों का पालन किया जायेगा।
2. मान्यता के अनुसार अरबी तथा फारसी बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्रतिवर्ष छात्रों को सम्मिलित किया जायेगा।
3. मदरसे में छात्रों एवं अध्यापकों के बैठने हेतु सज-सज्जा का प्रावधान की व्यवस्था की जायेगी।
4. केवल अरबी फारसी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम, पुस्तकों तथा विषयों के शिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।
5. मदरसे में समुचित शिक्षण सामग्री तथा पुस्तकालय की व्यवस्था की जायेगी।
6. मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों से कोई ऐसा शुल्क नहीं लिया जायेगा जो शासन/विभाग द्वारा मान्य न हो।
7. मदरसे में मान्यता एवं सेवा नियमावली के प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत राजाज्ञाओं एवं विभागीय निर्देशों के अनुसार ही शिक्षक/शिक्षणत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी।
8. यह मान्यता शैक्षिक सत्र 01.07.2002 से प्रभावी होगी।
9. मान्यता एवं सेवा नियमावली 1987 यथा संशोधित की किसी धारा या नियम का उल्लंघन करने पर मान्यता समाप्त की जा सकती है।

लखनऊ 09 JUL 2003


(वसी मोहम्मद)
रजिस्ट्रार
अरबी फारसी परीक्षाएँ, उ०प्र०
लखनऊ।



मदरसा जामियानुल हसनात
रूद्रपुर (उधम सिंह नगर) उत्तराखण्ड


कार्यालय उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद, देहरादून

पत्रांक सं० ६६१ / मान्यता / आलिम (अरबी व फारसी) / उ.म.शि.प. / प.सं-503 / 2016-17 दिनांक 02 जनवरी, 2017

मान्यता प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2016 के प्रख्यापन के उपरान्त मान्यता समिति की बैठक दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 में की गई संस्तुति के अन्तर्गत मदरसा जामिया-तुल हसनात, सीर गोटिया, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर को शिक्षा संहिता के अनुच्छेद-65 के अधीन तथा उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत बनाये जाने वाले विनियम के अन्तर्गत उच्च आलिया-आलिम (अरबी व फारसी) (कक्षा 11 से कक्षा 12 तक) स्तर तक की कक्षाओं की अनन्तिम रूप से अस्थाई मान्यता छात्रों/छात्राओं के लिए प्रदान की जाती है।





(अखलाक अहमद)
उप रजिस्ट्रार

सेवा में,

प्रबन्धक, मदरसा जामिया-तुल हसनात, सीर गोटिया, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड)।

पृ० सं० - मान्यता / आलिम (अरबी व फारसी) / उ.म.शि.प. / प.सं-503 / 2016-17 तददिनांक।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित अधिकारियों को सेवा में सूचनार्थ एवं अवश्य कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव उत्तराखण्ड शासन, अल्पसंख्यक कल्याण / विद्यालयी शिक्षा / उच्च शिक्षा।
2. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महानिदेशक / निदेशक (बेसिक / माध्यमिक) विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिला समाज / अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी / अपर जिला शिक्षा अधिकारी।


उप रजिस्ट्रार

प्रबन्धक
मदरसा जामियातुल हसनात
रूद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)